



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट-थाना मेरापुर
दिनांक :- 19.01.2025

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 07/2025 धारा 64(1)/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST ACT से सम्बन्धित नामित/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 07/2025 धारा 64(1)/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST ACT से सम्बन्धित नामित/वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम ढर्राशादीनगर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राहुल पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम ढर्राशादीनगर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण – दिनांक-15.01.2025 को वादिनी द्वारा थाना मेरापुर पर प्रा0 पत्र दिया गया कि अभि0 राहुल द्वारा वादिया के साथ मारपीट तथा बलात्कार किया गया है। तहरीर के आधार पर थाना मेरापुर पर दिनांक 15.01.2025 को मु0अ0सं0 07/2025 धारा 115(2)/64(1) बीएनएस व 3(2)(V) SC/ST Act बनाम 1. राहुल पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम ढर्राशादीनगर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियोग मे नामित/वाँछित अभि0 राहुल उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभि0 राहुल उपरोक्त में अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास :-

- 1- मु0अ0सं0 134/2022 धारा 323/354/506 भादवि थाना मेरापुर ।
- 2- मु0अ0सं0 82/2021 धारा 147/323/504 भादवि व 3(1)घ, 3(2)(va) SC/ST Act थाना मेरापुर
- 3- मु0अ0सं0 07/2025 धारा 64(1)/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST ACT थाना मेरापुर

गिरफ्तार करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रवि सोलंकी
2. का0 अर्जुन सिंह थाना मेरापुर

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :-19.01.2025

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-05/25 धारा-

191(2)/115(2)/352/351(2)/333/103/3(5) BNS से सम्बंधित 02 अभियुक्तगणों को मय आला कत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस टीम थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/333/103 BNS से सम्बंधित 02 अभियुक्तगण सालिगराम पुत्र रामदास 2, साहबलाल पुत्र रामदास निवासीगण ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. साहबलाल पुत्र रामदास निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़
2. सालिगराम पुत्र रामदास निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 16.01.25 थाना अमृतपुर वादी धीरज पुत्र ब्रजेश निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि उसके व उसके परिजनों के साथ सालिगराम व उसके साथियों द्वारा मारपीट की गयी है। जिसमें वादी धीरज के भाई व परिवारीजन 1.रामशंकर 2.अनवेश 3. राधेश्याम को चोटें आयी थी। जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/333 BNS बनाम सालिगराम आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया था। वादी के भाई रामशंकर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में धारा 103/3(5) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। दिनांक 19.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर वांछित/नामित अभियुक्तगण 01. सालिगराम पुत्र रामदास 2. साहबलाल पुत्र रामदास निवासीगण ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तगणों ने अपने जुर्म से इकबाल करते हुये बताया कि दिनांक 15.01.2025 की शाम को हमारा गाँव के रामशंकर पुत्र बृजेश व उसके रिश्तेदार मंजेश, कौशल पुत्रगण अनंगपाल से पुराने जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गयी थी, जिसमें रामशंकर गंम्भीर रूप से घायल हो गया था तथा उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। शेष सफाई हम अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देंगे।

अभियुक्त साहबलाल का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-05/25 धारा-103/191(2)/115(2)/352/351(2)/333/3(5)BNS थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त सालिगराम का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-05/25 धारा-103/191(2)/115(2)/352/351(2)/333/3(5)BNS थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:

01. आला कल्ल - 02 अदद कुल्हाड़ी ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
2. उ0नि0 विमल कुमार
3. का0 शिवम कुमार
4. महिला का0 नेमवती
5. महिला का0 पूनम
6. आ0 चा0 का0 विकास भाटी

मीडिया सेल फतेहगढ़